

Business Standard – 30th December, 2020
(English Edition)



Regd. Office: Jaykaygram, PO-Tyre Factory, Kankrolli - 313 342 (Rajasthan)
Admn. Office: Patriot House, 3, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110 002

FIXED DEPOSIT SCHEME

ANNOUNCEMENT REGARDING CHANGES IN THE INTEREST RATES/ AND OTHER TERMS EFFECTIVE 1st JANUARY 2021
The terms and conditions contained in the Circular in the form of Advertisement inviting deposits (Circular) dated 22nd September 2020 issued pursuant to the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014 shall stand revised with effect from 1st January 2021, as under-

T E R M S						
SCHEME 'A' - (Non-Cumulative)		SCHEME 'B' - (Cumulative)				
Period	Rate of Interest Per Annum (%) Payable Annually	Period	Rate of Interest Per Annum (%) Compounded Annually	Minimum Amount of Deposit (₹)	Amount Payable on Maturity (₹)	Effective Yield Per Annum (%)
1 Year	6.75	1 Year	6.75	1,00,000	1,06,750	6.75
2 Years	7.25	2 Years	7.25	1,00,000	1,15,026	7.51
3 Years	7.35	3 Years	7.35	1,00,000	1,23,710	7.90

Notes:

1. Deposits shall be accepted for a minimum amount of Rs.1,00,000/- and in multiples of Rs. 50,000/- thereafter.

2. PAYMENT OF INTEREST	SCHEME 'A' (NON-CUMULATIVE) : Interest will be paid annually and on maturity.
	SCHEME 'B' (CUMULATIVE) : Interest will be compounded annually and paid on maturity.

3. Additional interest of 0.50% will be paid to senior citizens (above 60 years), employees and shareholders - max 0.50%.

This announcement is in partial modification of the terms and conditions contained in the said Circular dated 22nd September 2020. Other terms and conditions stated therein remain unchanged and are to be read in conjunction with the same. This is not a circular inviting deposits under Section 73 of the Companies Act, 2013.

For JK Tyre & Industries Ltd.



Place : New Delhi
Date : 30th December, 2020

PK Rastogi
Vice President (Legal) & Company Secretary

Email: fd@jktmail.com; Website: www.jktyre.com; Phone: 011-68201163, 011-66001122 (Ext. 163); Fax: 011-23322059; CIN: L67120RJ1951PLC045966



PRATAHKAL – 30th December, 2020
Udaipur Edition (Hindi Newspaper)



पंजीकृत कार्यालय : जे. के. टावर, पीओ- टायर फैक्ट्री, कान्करोली- 313 342 (राजस्थान)
प्रशासकीय कार्यालय : पैट्रियट हाउस, 3, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110 002

सावधि जमा योजना

दिनांक 1 जनवरी से छटाज दर/ और अन्य शर्तों में बदलाव संबंधी घोषणा

कम्पनी (जमा की स्वीकृति) नियम 2014 अन्तर्गत जारी जमा (सक्यूलर) दिनांक 22 सितम्बर 2020 को विज्ञापन के स्वरूप में सक्यूलर में संबंधित नियम एवं शर्तों दिनांक 1 जनवरी 2021 से निम्नानुसार सुधारित किया गया है :-

शर्तें						
योजना 'ए' - (नॉन क्यूमुलेटिव)			योजना 'बी' - (क्यूमुलेटिव)			
अवधि	ब्याज दर वार्षिक भुगतान के लिए प्रति वर्ष (%)	अवधि	ब्याज दर प्रति वर्ष चक्रवृद्धि वार्षिक (%)	न्यूनतम जमा राशि	मैच्युरिटी पर मिलने वाली राशि	प्रति वर्ष इफैक्टिव यील्ड (%)
1 वर्ष	6.75	1 वर्ष	6.75	1,00,000	1,06,750	6.75
2 वर्ष	7.25	2 वर्ष	7.25	1,00,000	1,15,026	7.51
3 वर्ष	7.35	3 वर्ष	7.35	1,00,000	1,23,710	7.90

नोट :

1. न्यूनतम जमा राशि 1,00,000/- के लिए एवं 50,000/- पर स्वीकृत किया जाएगा।

2. ब्याज की राशि

योजना 'ए' - (नॉन क्यूमुलेटिव) : वार्षिक एवं मैच्युरिटी पर ब्याज प्रदान किया जाएगा।

योजना 'बी' - (क्यूमुलेटिव) : वार्षिक एवं मैच्युरिटी पर ब्याज का भुगतान करें।

3. वरिष्ठ नागरिकों को (60 वर्ष से अधिक) अतिरिक्त ब्याज 0.50 (%) प्रदान किया जाएगा, कर्मचारी एवं भागधारक को कमाल 0.50 (%) प्रदान किया जाएगा। सदर घोषणा सदर सक्यूलर दिनांक 22 सितम्बर 2020 के नियम एवं शर्तों के अंशतः अधिसूचना पर होगी। अन्य नियम एवं शर्तों अपरिचित रहेंगी एवं सदर उपरी अनुसार पढ़ें। कम्पनी कायदा 2013 के अनुच्छेद 73 के अन्तर्गत डिपोजिट के लिए सक्यूलर नहीं है।



स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 दिसम्बर, 2020

जे. के. टावर एवं इंडस्ट्रीज लि. के लिए
पी. के. कस्तुरी
उपाध्यक्ष (वित्त) एवं कानूनी सचिव

ईमेल : fd@jktmail.com; वेबसाइट : www.jktyre.com; फोन : 011- 68201163, 011- 66001122 (एक्स. 163); फाक्स : 011-23322059, सौभाग्य एन : L67120RJ1951PLC045966



